



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122020-223740
CG-DL-E-17122020-223740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2020/अग्रहायण 26, 1942

No. 636]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2020/AGRAHAYANA 26, 1942

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 768 (अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वस्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 2 के खंड (घख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 728 (अ) दिनांक 25 फरवरी, 2014, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 10 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुयी थी, में आशोधन से पूर्व की अथवा करने से छोड़ी गयी बातों को छोड़कर, निम्नलिखित संशोधन करती है।

1. (i) उक्त अधिसूचना की तालिका में क्र. सं. 11 की मौजूदा प्रविष्टी के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है-

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र
11	निदेशक, अभिलेखागार, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय, श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

(ii) तालिका में, क्र. सं. 32 के बाद क्र. सं. 33 में निम्नलिखित रूप में नई प्रविष्टी जोड़ी जाती है—

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र
-------------	------------------	----------------

33	निदेशक, पर्यटन, कारगिल	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
----	------------------------	--------------------------

2. उपर्युक्त आशोधन सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. T-19062/1/2020-स्मा.]

वी. विद्यावती, महानिदेशक

**MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2020

G.S.R. 768(E).—In exercise of the powers conferred by the clause (db) of section 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government makes following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) S. O. 728 (E) dated 25th February, 2014 published in Gazette of India on 10th March, 2014, except in respect of things done or omitted to be done before such modification.

1. (i) The existing entry against S. No. 11 of the TABLE in the said notification shall be substituted as under-

S. No.	Designation of the officer	Area of jurisdiction
11	Director, Archives, Archaeology and Museums, Srinagar	Union Territory of Jammu and Kashmir

(ii) A new entry shall be added after S. No. 32 of the TABLE at S. No. 33, as under-

S. No.	Designation of the officer	Area of jurisdiction
33	Director, Tourism, Kargil	Union Territory of Ladakh

2. The above said amendment shall take effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. T-19062/1/2020-M]

V. VIDYAVATHI, Dir. General